Sardar Patel University of Police, Security & Criminal Justice, Jodhpur
Lordi Panditji, Jodhpur-342037

E-mail: registrar@policeuniversity.ac.in, **Website:** www.policeuniversity.ac.in

Ref: F.2 (1)SPUP/2013/Admn&Estt/BOM-Vol.-V/ 4203 **date:** 21/02/22

To,

(1) The Vice-Chancellor, Sardar Patel University of Police, Security & Criminal Justice, Jodhpur- Chairperson
(2) Shri Laxman Meena, MLA, Bassi
(3) Shri Rooparam, MLA, Jaisalmer
(4) Additional Chief Secretary, Home, Government of Rajasthan, Jaipur
(5) Additional Chief Secretary, Higher Education, Government of Rajasthan, Jaipur
(6) Additional Chief Secretary, Finance, Government of Rajasthan, Jaipur
(7) Director General of Police, Rajasthan
(8) The Pro-Vice-Chancellor, Sardar Patel University of Police, Security & Criminal Justice, Jodhpur
(9) Divisional Commissioner, Jodhpur (Principal Secretary, Deptt. of Finance Nominee)
(10) Shri Omendra Bharadwaj, Former DGP, Rajasthan R/o C-375A, Pradhan Marg, Malviya Nagar, Jaipur
(11) Dr. A.K. Gahlot, Former Vice Chancellor, Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences, Bikaner R/o B-30, Gahlot Kutir, Nagnechi Road, Pawanpuri, Bikaner-334003
(12) Prof. S.S. Tak (Retd.), Jai Narayan Vyas University, Jodhpur
(13) Dr. Ram Singh Meena, Associate Professor, Jai Narayan Vyas University, Jodhpur
(14) Prof. Poonam Saxena, Vice-Chancellor, National Law University, Jodhpur
(15) Director, IIT, Jodhpur
(16) Director, Rajasthan Police Academy, Jaipur

Subject: Minutes of the 15th Meeting of Board of Management held on 11.02.2022.

Sir/Madam,

In reference to the subject cited above, please find herewith a copy of the minutes of the 15th Meeting of the Board of Management of Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur held on **11th February 2022.**

You are kindly requested to confirmed and acknowledge the minutes of the meeting.

Enclos: As above

Registrar
SPUP, Jodhpur

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय

ग्राम–लोरडी पण्डितजी, जोधपुर (राज.)–**342037**

Azadi Ka Amrit Mahotsav

E-mail: registrar@policeuniversity.ac.in **Website:** www.policeuniversity.ac.in

Ref. No. F.2(1)/SPUJ/2013/Admn&Estt/BOM-Vol.-II/ **Dated:**

–: कार्यवाही विवरण :–

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध मण्डल की **15**वीं बैठक, दिनांक **11 फरवरी 2022** को दोपहर 12.00 बजे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में, उनके कक्ष में आयोजित की गई, में निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुएः–

1. श्री आलोक त्रिपाठी, माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष, एसपीयूपी, जोधपुर
2. श्री रूपाराम, माननीय विधायक, जैसलमेर – ऑनलाइन भाग लिया
3. श्री वी. सरवन कुमार, विशिष्ट शासन सचिव, गृह (प्रतिनिधिः अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान) – ऑनलाइन भाग लिया
4. श्री एम.एल. लाठर, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर – ऑनलाइन भाग लिया
5. श्री नवज्योति गोगोई, पुलिस आयुक्त, जोधपुर प्रति कुलपति,(अति. चार्ज) एसपीयूपी, जोधपुर – ऑनलाइन भाग लिया
6. श्री ओमेन्द्र भारद्वाज, पूर्व महानिदेशक पुलिस, राजस्थान – ऑनलाइन भाग लिया
7. डॉ. ए.के. गहलोत, पूर्व कुलपति, RAJUVAS, बीकानेर
8. प्रो. (डॉ.) राम सिंह मीणा, सदस्य, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर एवं सह आचार्य, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
9. प्रो. एस.एस. टाक, प्रोफेसर (से.नि.), जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
10. श्री राजीव शर्मा, निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर – ऑनलाइन भाग लिया
11. श्री उमेश चंद खींवसरा, उप निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर (प्रतिनिधिः अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान)
12. डॉ. डिम्पल पवार आर्य, कुलसचिव (अति.चार्ज), एसपीयूपी, जोधपुर– सदस्य सचिव

बैठक में निम्न सदस्य अनुपस्थित रहे :–

1. श्री लक्ष्मण मीणा माननीय विधायक, बस्सी
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. प्रो. शान्तनु चौधरी, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
4. प्रो. पूनम सक्सेना, कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने प्रबन्ध मण्डल के उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा सदस्यों की अनुमति उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। बैठक में एजेन्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श कर, निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

बिन्दु संख्या–15/1 : **विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की 14वीं बैठक दिनांक 07 जुलाई 2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

निर्णय–15/1 : प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। सदस्यों का प्रबंध बोर्ड की 14वीं बैठक के कार्यवाही विवरण में बिन्दू संख्या 14/5 में यह ऑब्जर्वेशन है कि 2.00 करोड़ रूपये के गबन के संबंध में वसूली किये जाने के संबंध में नहीं लिखा गया है।

बिन्दू संख्या 14/8 में सदस्यों का ऑब्जर्वेशन है कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति संबंधी आदेश के साथ उनका पारिश्रमिक भी अंकित किया जाना चाहिये।

बिन्दू संख्या 14/11 में ऑब्जर्वेशन है कि वित्त समिति में माननीय सदस्य प्रो. एस.एस. टाक को अशासकीय सदस्य के रूप में मनोनयन करने के आदेश में कार्यकाल के संबंध में यह लिखा जाना चाहिये था कि प्रो. एस.एस. टाक जब तक प्रबंध बोर्ड के सदस्य हैं, तब तक की अवधि के लिए अथवा 2 वर्ष की अवधि, जो भी पहले पूर्ण हो, तक वित्त समिति के अशासकीय सदस्य रहेंगे।

बिन्दु संख्या–15/2 : **विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 07 जुलाई, 2021 के कार्यवाही विवरण के अनुसार की गई अनुपालना का विवरण।**

निर्णय–15/2 : प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 07 जुलाई, 2021 के कार्यवाही विवरण के अनुसार की गई अनुपालना के बिन्दु संख्या 14/3 के संबंध में सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि अनुपालना कार्यवाही विस्तृत रूप से लिखी जानी चाहिये।

बिन्दु संख्या 14/14 में प्रो. ए.के. गहलोत, माननीय सदस्य ने बताया कि एमओयू के लिए एक सैल बनाई जाए और वह सैल एमओयू के विवरण को एक–एक पैराग्राफ में प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें। हर छह माह में इसकी माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक अवश्य होनी चाहिये, जिससे एमओयू के प्रत्येक कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।

बिन्दु संख्या–15/3	:	**विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों को उपादान (Gratuity) प्रदान करने के प्रकरण पर विचार**
निर्णय–15/3	:	प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों को उपादान (Gratuity) प्रदान करने के प्रकरण का अनुमोदन किया गया। इस संबंध में सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि कार्मिकों को उपादान (Gratuity) प्रदान करने से कितना वित्तीय भार आयेगा, इसका विस्तृत रोड़ मैप तैयार किया जाए। श्री ओमेन्द्र भारद्वाज, माननीय सदस्य द्वारा सुझाव दिया कि एलआईसी के माध्यम से भी कार्मिकों को उपादान (Gratuity) प्रदान की जा सकती है, इसके प्रीमियम का बजट में प्रावधान लेकर किया जा सकता है। प्रो. एस.एस. टाक, माननीय सदस्य ने बताया कि विश्वविद्यालय के जो नियम परिनियम बन रहे हैं, उसमें सेवा शर्तों को परिभाषित करें एवं उपादान को भी इसमें शामिल करें।
बिन्दु संख्या–15/4	:	**विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् की बैठक 26 अक्टूबर, 2021 एवं 10 फरवरी, 2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**
निर्णय–15/4	:	प्रबंध बोर्ड द्वारा विद्या परिषद् की 16वीं बैठक के कार्यवाही विवरण को सर्वसम्मति से Consider किया गया। इस संबंध में सदस्यों का यह ऑब्जर्वेशन है कि विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवाही विवरण अनुमोदन करने (Confirm) की बजाय Consider लिखा जाये। प्रबंध बोर्ड द्वारा विद्या परिषद् की 17वीं बैठक के कार्यवाही विवरण को Consider किया गया एवं सहमति व्यक्त की गई। माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह भी सहमति व्यक्त की गई कि विश्वविद्यालय के बनाये जा रहे नियमों में यूनिक विश्वविद्यालय होने से एवं कुछ पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या कम होने की वजह से गोल्ड मैडल के लिए पृथक से नियम बनाया जाये।
बिन्दु संख्या–15/5	:	**विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक दिनांक 30 नवम्बर, 2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**
निर्णय–15/5	:	प्रबंध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक दिनांक 30 नवम्बर, 2021 के कार्यवाही विवरण को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

बिन्दु संख्या–15/6 : **विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को, प्रदान की जाने वाली उपाधियों एवं स्वर्ण पदकों का अनुमोदन।**

निर्णय–15/6 : प्रबंध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को, प्रदान की जाने वाली उपाधियों एवं स्वर्ण पदकों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रो. एस.एस. टाक, माननीय सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि भविष्य में डिग्री की लिस्ट में सीजीपीए एवं मेरिट नहीं लिखा जाए।

प्रो. ए.के. गहलोत, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि दो छात्रों के एक ही सीजीपीए होने पर इस संबंध में भी विश्वविद्यालय के नियमों में स्पष्टता के साथ लिखा जाए।

बिन्दु संख्या–15/7 : **विश्वविद्यालय हेतु आवश्यक नवीन पदों के सृजन का प्रस्ताव, राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन।**

निर्णय–15/7 : प्रबंध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय हेतु आवश्यक नवीन पदों के सृजन का प्रस्ताव, राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के प्रस्ताव के संबंध में आन्तरिक कमेटी बनाकर पदों का औचित्य (Justification) बताते हुए प्रस्ताव अगली बैठक में रखा जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

बिन्दु संख्या–15/8 : **राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार, विश्वविद्यालय में RGHS स्कीम लागू करने की सूचना।**

निर्णय–15/8 : प्रबंध बोर्ड द्वारा राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुसार, विश्वविद्यालय में RGHS स्कीम लागू करने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–15/9 : **विश्वविद्यालय के विभिन्न केन्द्रों की प्रगति/गतिविधियों के बारे में सूचित कराना।**

निर्णय–15/9 : विश्वविद्यालय के विभिन्न केन्द्रों की प्रगति/गतिविधियों के बारे में सूचित किया गया एवं इसके प्रशासनिक संचालन एवं समन्वय हेतु नोडल अधिकारी (मानद) नियुक्त किया गया है। सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि क्योंकि सेन्टर विश्वविद्यालय के हैं, इसलिए सेन्टर के वित्तीय विवरण/ऑडिट रिपोर्ट के बारे में वित्त समिति को अवगत कराया जाये सेन्टर्स की विस्तृत गतिविधियों के बारे में बोर्ड को अवगत कराया जाये। समिति के सदस्य प्रो. गहलोत द्वारा यह भी

सुझाव दिया गया कि सेन्टर हेतु विश्वविद्यालय द्वारा भी बजट प्रावधान करवाया जा सकता है।

बिन्दु संख्या–15 / 10 : **अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।**

निर्णय–15 / 10 : प्रबंध बोर्ड के सदस्य प्रो. एस.एस. टाक द्वारा विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलसचिव द्वारा रू. 2 करोड़ के गबन (वर्ष 2013–14) के संबंध में शीघ्र कार्यवाही हेतु कहा गया । प्रबंध बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रमुख सचिव को अर्द्धशासकीय पत्र भिजवाया जाये, जिसमें विश्वविद्यालय का रू. 2.00 करोड़ रूपयों के गबन के बारे में सूचित करते हुए उक्त राशि संबंधित से वसूली कर विश्वविद्यालय फण्ड में जमा कराने की कार्यवाही हेतु लिखा जाये।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

कुलसचिव,
एसपीयूपी, जोधपुर

Registrar
Sardar Patel University of Police
Security & Criminal Justice,
Jodhpur (Raj.)